

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1333

दिनांक 20/06/2022

प्रार्थी :-

1. मगनाराम पुत्र दयारामराम, जाति जाट
निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. हड़वंतसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत
निवासी बीजराड़
2. ईशराराम पुत्र नारणाराम के का.मु. :-
2/1. लाभूराम 2/2. लिखमाराम पि.ईशराराम
जाति जाट, निवासी सेंवरों की बस्ती
3. डूंगराराम 4. देदाराम 5. दमाराम पि. प्रभाराम
6. मोटाराम पुत्र सोनाराम, जाति जाट
निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 79/2021

दिनांक : 20.06.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा बीजराड़ के खेत खसरा सं. 882 रकबा 44.19 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1334 to 1337
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी मगनाराम
3. विप्रार्थीगण हड़वंतसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 20/06/2022



(भागीस्थ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन